



# बिहार राज्य

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

५ मार्च २०२८ (सं०)

(सं० पद्धति २४९)

पटना, मुमलपाल २६ जिल्हार, २००६

भविमंडत (संसदीय कार्य) प्रधिकारिय विभाग

प्रधिकारिय  
२३ जिल्हार, २००६

सं० ए० पद्धति० (पद्धति०) ४०२२।२००६-१२७—बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) प्रधिकारिय सं० १५।  
२००६) की धारा-५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित नियमानुसारी इनाउँ हैं:

### नियमानुसारी

१. (१) यह नियमानुसारी बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमानुसारी, २००६ का ही या सकेनी।  
(२) यह १८ अक्टूबर, २००६ से प्रभावी होती।
२. इस नियमानुसारी में, जब तक कोई यात्रा विषय या सदन के बिछड़ न हो,  
(क) "आयोजित" है बिहार नियमों के (वेतन एवं भत्ते) प्रधिकारिय, २००६;  
(घ) "आयोजित" से आयोजित है मंत्री को नियोजित विधायिकों के लिये दी जानेवाली शर्तियाँ भी रायिः;  
(अ) "प्रधारार" से तात्पर्य है मंत्री के पत्ती/पति, आयोजित विधायकसभा/तुर्की, भवया ऐसे भावण/प्रिया यो भूर्भूतः;  
(प) "गतो" से आयोजित है संविधान के अनुच्छेद-१६५ के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त  
भूकृतः;  
(छ) "दूरदृश्य" है आयोजित है बिहार विधानभवन के किसी भी सदन का सदन;  
(च) "मात्रा भत्ता" है आयोजित है एक मात्रा को लोक देया के लिए मंत्री द्वारा को यह यात्रा होतु  
मन्त्रानुसार ही दौर उठने देनिक यात्रा भी सम्भवित है।  
(छ) "दूरदृश्य" के आयोजित है बिहार राज्यालाइन।
३. प्रधारार दूरदृश्य करते के लिये "यात्रा-भत्ता" — बूझ भवी, भवी की प्रधारार प्रहण करने के लियित ऐसा  
या बचे या जल मात्रे के यात्रा करने पर निम्नलिखित मत्ते अनुदाय होतीः —  
(क) दून से यात्रा करते पर वातानुकूलित प्रथम थीरों/वातानुकूलित प्रिंसिप योजी की एक ओर का यात्रा  
भत्ता;  
(घ) उनके साथ यात्रा करते विवार के एसे सदस्य, यो वस्तुतः उनके साथ रहते हों, उन्हें उच्ची  
भवी भी यात्रा कर सकते।  
परन्तु यात्रार्थ, नैं उनके द्वारा उक्त देशों में यात्रा की गयी हो;  
(ग) यदि, वसे चे यात्रा किए हों वायपा भ्रंशतः वसे एवं भ्रंशतः दून से भ्रंशवा यत मार्गे से यात्रा किए  
हों भी यात्रा पर किए गए यात्रानुकूलित प्रथम भी रायिः उन्हें युक्तेय होती;

4. मंत्रियों का देतन। —
- (क) मुख्य मंत्री एवं नंती को विहार विधान सभा / विहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में देय देतन अनुमत्य होगा।
- (ख) ऐसे मुख्य मंत्री/नंती/राज्य मंत्री/उप मंत्री/ जो विहार विधान मण्डल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें वही देतन देय होगा, जो किसी सदस्य के सदस्य को निलंता है:
- प्रत्यन्त यह कि उन्हें यह सुविधा सापेक्ष ग्रहण की तिथि से 6 माह तक ही प्राप्त होगी।
5. क्षेत्रीय भत्ता। — मुख्य मंत्री/मंत्री सादस्य के रूप में अनुमत्य क्षेत्रीय भत्ता पाने के हकदार होंगे।
6. आतिथ्य भत्ता। — मुख्य मंत्री/मंत्री कार्यभार ग्रहण करने की तिथि शनिवार निम्नलिखित दर पर आतिथ्य भत्ता के हकदार होंगे :—
- मुख्य मंत्री 15000/- — रुपये प्रतिमाह
- मंत्री 14500/- — रुपये प्रतिमाह
- राज्य मंत्री 14000/- — रुपये प्रतिमाह
- उप मंत्री 13500/- — रुपये प्रतिमाह
7. आवास की सुविधा। —
- (क) मुख्य मंत्री के हेतु भवन निर्माण विभाग, निर्धारित एवं सुलझाया आवास उपलब्ध कराएगा तथा उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।
- (ख) मंत्री, राज्य के नूतन राजधानी क्षेत्र में निःशुल्क एवं सुलझाया आवास के हकदार होंगे। उसका उपयोग वे अपने कार्यकाल एवं उसके बाद एक माह तक कर सकेंगे।
- (ज) ऐसे आवासों के अनुरक्षण के संबंध में उन्हें व्यवितरण रूप से कोई व्यय नारंग हन नहीं करना पड़ेगा।
- (घ) ऐसे आवासों की साज-सज्जा एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग की होगी।
- (ङ) मंत्री के आवासों की साज-सज्जा और अनुरक्षण पर खर्च, उस पैमाने और उस आर्थिक स्तराओं के भीतर होगा, जो राज्य सरकार संकल्प/अनुदेशों के द्वारा विहित करे।
- (च) ऐसे अवधित आवासों में विजाली, चानी एवं अन्य स्थानीय करों को भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनार्थ आवास के अन्तर्गत स्टाफ एकाइ और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं।
8. वाहन की सुविधा। — मुख्य मंत्री/मंत्री के उपयोग के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी गाड़ियों में प्रतिमाह आवश्यकतानुसार ईद्दन की आपूर्ति मंत्री के

- रखापना विभाग के द्वारा करायी जायगी। माड़ी के रख-रखाव की जिम्मेदारी मंत्री के स्थापना विभाग की होगी।
९. उत्तमता पर्याप्त ये लिए अनुमत्य यात्रा भत्ता। —  
मुख्य मंत्री/मंत्री थोड़ी  
(क) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए १०/- रु० प्रति किलोमीटर की दर से "मौल-गत्ता" देय होगा।  
(ख) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च भुगतेय होगा।  
परन्तु जब वे अपनी माड़ी से यात्रा करते हों तथा नदी के पार जाना हो तो वे मौल भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल-परिवहन खर्च पाने के इकादार होंगे।  
उपरोक्त यात्राओं की अवधि के लिये नियम ११ के अधीन दैनिक भत्ता देय होगा।
  १०. हवाई जहाज से यात्रा वृहि सुविधायें। —  
सरकारी यात्रा —  
(क) मुख्य मंत्री एविजयगौड़ीभ श्रेणी/प्रथम श्रेणी में सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकेंगे।  
(ख) मंत्री एविजयगौड़ीभ श्रेणी/प्रथम श्रेणी में सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकेंगे।  
मुख्य मंत्री/मंत्री को उपरोक्त यात्रा के लिए इस नियमावली के नियम ११ के अधीन दैनिक भत्ता भी अनुमान्य होगा।
  ११. दैनिक-भत्ता। — गुरुव्य मंत्री/मंत्री ५०० रु० प्रतिदिन की दर से पूरे माह के लिए दैनिक भत्ता थोड़ा इकादार होगे।  
परन्तु राज्य के बाहर यात्रा करने पर १०००/- रु० प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता के इकादार होगे।
  १२. दूरभाष की सुविधा। —  
(क) मुख्य मंत्री की आवश्यकता के अनुसार कार्यालय एवं आवास पर दूरभाष की सुविधायें प्राप्त होंगी।  
(ख) मंत्री को कार्यालय एवं आवास पर आधुनिक तकनीकी सुविधाओं थोड़ा साथ एक-एक दूरभाष की सुविधा प्राप्त होगी।  
मंत्री के कार्यालय/आवास पर उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनकी स्थापना के विभाग की होगी।
  १३. चिकित्सा सुविधायें। — मुख्य मंत्री/मंत्री एवं उनके परिवार को सदस्यों की अखिल नारीय सेवा के प्रथम श्रेणी थोड़ा पदाधिकारियों के सामने निशुल्क चिकित्सा की सुविधायें प्राप्त होंगी।
  १४. रेलवे यूपन की सुविधायें। — मुख्य मंत्री/मंत्री को निजी यात्रा के लिये रेलवे-यूपन की वही सुविधायें प्राप्त होंगी, जो सदस्य के रूप में उन्हें अनुमान्य हैं।

विदेश यात्रा की सुविधा एवं अनुमान्य भत्ते। —

- (क) मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री की सहमति से विदेश यात्रा पर जा सकेंगे। उन्हें भारत सरकार के मंत्री के समान सुविधायें अनुमान्य होंगी।
  - (ख) मंत्री, मुख्य मंत्री को अनुमति लेकर सरकारी कार्य से विदेश जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें भारत सरकार के राज्य मंत्री के समान सुविधायें अनुमान्य होंगी।
- कार अग्रिम। — मुख्य मंत्री/मंत्री को विधान मंडल के सदस्यों के रूप में अनुमान्य कार अग्रिम देय होगा एवं अग्रिम के वापसी विधान मंडल के सदस्यों पर लागू शातीं के अनुरूप ही होगा।

मुख्य मंत्री/मंत्री, अपना पद-त्याग करने के बाद इस नियमावली के नियम ३ के अधीन यात्रा-भत्ता की सुविधा के हकदार होंगे।

निजी कर्मियों की सुविधा। — इस नियमावली की अनुसूची-१ के अनुसार निजी कर्मियों की सुविधायें अनुमान्य होंगी।

राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों को व्याख्या करने तथा समय-समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति। —

- (i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेंगी :—
  - (1) बिहार के मंत्री (भत्ता) नियमावली, १९५३
  - (2) बिहार के उपमंत्री के (भत्ता) नियमावली, १९५४
  - (3) बिहार के मंत्री का मोटर कार अग्रिम नियमावली, १९५३
  - (4) बिहार के उपमंत्री का मोटर कार नियमावली, १९५३
- (ii) इस नियमावली के होते हुए भी पूर्ण नियमावलियों के प्रावधानों के अधीन की गयी यात्राओं पर इस नियमावली का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

भोगेन्द्र झा,  
सरकार के उपसचिव।

अनुसूची - १

मंत्रियों को निजी कर्मचारियों की सुविधा निम्न प्रकार से अनुमान्य होगी :-

संख्या संख्या	महानुभाव	आप्त सचिव	निजी सहायक	निम्नवर्गीय लिपिक	आदेशपाल
१	२	३	४	५	६
१.	मुख्य मंत्री/मंत्री	०२ (राजपत्रित पदार्थ-१, वाहय-१)	०२ (सरकारी/वाहय)	०१ (सरकारी/वाहय)	०३ (सरकारी/वाहय व्यक्ति)
२.	राज्य मंत्री	०२ (राजपत्रित पदार्थ-१, वाहय-१)	०२ (सरकारी/वाहय)	०१ (सरकारी/वाहय)	०२ (सरकारी/वाहय व्यक्ति)
३.	उप मंत्री	०१ (राजपत्रित पदार्थ)	०२ (सरकारी/वाहय)	०१ (सरकारी/वाहय)	०२ (सरकारी/वाहय व्यक्ति)

चोट :-

- (i) मंत्रियों के आप्त सचिव राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।
- (ii) सरकारी कोटा के आप्त सचिव/निजी सहायक/निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति मंत्री की अधियाचना पर कार्यक्रम एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की जायेगी। आदेशपाल की प्रतिनियुक्ति मंत्री के स्थापना विभाग द्वारा की जायेगी।
- (iii) वाहय सेवा के आप्त सचिव/निजी सहायक/निम्नवर्गीय लिपिक/आदेशपाल की नियुक्ति संबंधित मंत्री के द्वारा स्वेच्छा से की जायेगी। उपरोक्त वाहय व्यक्ति की सेवा सर्वथा अस्थायी हानी और मंत्री के कार्यकाल तक ही सीमित होगी। इसके पूर्व भी विना किसी पूर्व सूचना के उन्हें मंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त वाहय व्यक्तियों को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियत येतन एवं अनुमान्य महंगाई मत्ता अनुमान्य होगी।